



माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर (पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

Website- msuniversity.ac.in

Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक: 219/MSU/Registrar Office/2025-26

दिनांक: 19/9/26

प्राचार्य/प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

विषय:- आगामी विधान परिषद् के चुनाव हेतु स्नातक/परास्नातक के वोट बनवाने के लिये **Registration** कराने हेतु प्रेरित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिला निर्वाचन अधिकारी(जिलाधिकारी सहारनपुर के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को जारी) पत्र संख्या: 977/29-623, जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर दिनांक 21.08.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उ०प्र० विधान परिषद् की स्नातक/परास्नातक सीटों पर निर्वाचन माह दिसम्बर 2026 में प्रस्तावित है इस हेतु स्नातक/परास्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों में नाम पंजीकृत कराने हेतु निरन्तर पुनरीक्षण का कार्य गतिमान है, जिसके अनुक्रम में अधिक से अधिक स्नातक/परास्नातक का पंजीकरण कराने के निदेश दिये गये हैं।

उक्त के आलोक में यह भी अवगत कराना है कि स्नातक/परास्नातक निर्वाचक नामावली में जो पात्र मतदाता बनने से छूटे हुए हैं, उनके फार्म-18 भरवाकर एवं सत्यापित कर संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय/तहसील कार्यालय में अतिशीघ्र जमा करवाने पर ही उनका पंजीकरण हो सकेगा।

अतः उक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि यदि आपके महाविद्यालय में नियमानुसार पात्र स्नातक/परास्नातक का मतदाता सूची में नाम नहीं है तो उनको भी सूचित एवं वोट बनवाने हेतु अपने स्तर से प्रेरित करने का कष्ट करें, जिससे भारतीय लोकतंत्र और भी सशक्त हो सके तथा शिक्षा क्षेत्र के विकास एवं कल्याण हेतु योग्य उम्मीदवारों का निर्वाचन हो सकें। यह प्रक्रिया Online/Offline दोनों मोड में की जा सकती है। Online मोड हेतु निर्वाचन विभाग की निम्नांकित वेबसाइट <https://ceouttarpradesh.nic.in/ceoupmlc/index.html> पर Approach किया जा सकता है।

संलग्नक:-उपर्युक्तानुसार

01. Form 18


(कमल कृष्ण)
कुलसचिव

पत्रांक व दिनांक उक्तवतः

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02. उप/सहा० जिला निर्वाचन अधिकारी सहारनपुर/शामली/मु०नगर।
03. गार्ड फाइल।

उपकुलसचिव

कार्यालय जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी, सहारनपुर।

संख्या :- 977/29-623

दिनांक :- 21 अगस्त, 2026

जिला विद्यालय निरीक्षक,
सहारनपुर।

विषय :- मेरठ खण्ड स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों में नाम सम्मिलित कराये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत ही हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन माह दिसम्बर, 2026 में प्रस्तावित है। इस हेतु स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों में नाम पंजीकृत कराने हेतु निरन्तर पुनरीक्षण का कार्य गतिमान है।

2- गत निर्वाचन-2020 में पंजीकृत 56000 मतदाताओं के सापेक्ष वर्तमान मतदाता सूची में केवल 8000 मतदाता ही पंजीकृत हो पाए हैं, इससे प्रतीत होता है कि अभी बहुत अधिक संख्या में पात्र स्नातक नागरिक मतदाता सूची में सम्मिलित होने से छूटे हुए हैं।

3- आप द्वारा अपने अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं, यू पी बोर्ड, सी बी एस ई बोर्ड एवं अन्य स्नातक/ परास्नातक कॉलेजों आदि में विशेष अभियान चलाकर अवशेष बचे अध्यापकों, उनके परिवार एवं निकटस्थ पात्र स्नातकों के नाम स्नातक निर्वाचक नामावली में फार्म-18 भरवाकर पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें। प्राप्त फार्मों का सत्यापन संबंधित तहसील द्वारा कराया जाएगा।

4- यह भी अवगत कराना है कि शिक्षक निर्वाचक नामावली में जो पात्र शिक्षक मतदाता बनने से छूटे हुए हैं, उनके फार्म-19 भरवाकर एवं सत्यापित कर संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय/तहसील कार्यालय में अतिशीघ्र जमा करवाना सुनिश्चित करें।

5- अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप विशेष अभियान चलाकर छूटे हुए पात्र स्नातक एवं शिक्षक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराने हेतु फार्म-18 / फार्म-19 भरवाकर संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उनके तहसील कार्यालय में रजिस्ट्रार कानूनगो को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

(अश्विन्द कुमार चौहान)

जिला निर्वाचन अधिकारी/

जिलाधिकारी, सहारनपुर।

प्रतिलिपि :- समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, सहारनपुर/ उप जिलाधिकारी, बेहट, नकुड, सहारनपुर, देवबन्द, रामपुर मनिहारान एवं अपर उप जिलाधिकारी, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ कि प्राप्त होने वाले फार्म-18 की जाँच कराकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदत्त सॉफ्टवेयर पर फीडिंग कराना सुनिश्चित करें।

2- तहसीलदार, बेहट, नकुड, सहारनपुर, देवबन्द एवं रामपुर मनिहारान को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अश्विन्द कुमार)

स. जि. नि. अ.
सहारनपुर।

जिला निर्वाचन अधिकारी/
जिलाधिकारी, सहारनपुर।



“प्ररूप-18

(नियम 31 देखें)

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960

भारत निर्वाचन आयोग

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली में नाम के समावेश के लिए दावा

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,

(स्नातक) निर्वाचन क्षेत्र.

सफेद पृष्ठभूमि के साथ
पासपोर्ट आकार (4.5
सेमी. X 3.5 सेमी) का
रंगीन अहस्ताक्षरित, हाल
ही के फोटो के लिए
स्थान जिसमें पूरे चेहरे के
सामने का भाग दिख रहा
हो

श्रीमान,

मैं प्रार्थना करता/करती हूँ कि मेरा नाम.....(स्नातक) निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत किया जाए।

1. विशिष्टियां:-

पूरा नाम

लिंग

पिता/माता/पति का (पूरा नाम)

अर्हता

व्यवसाय

घर का पता (सामान्य निवास का स्थान)

मकान/भवन/अपार्टमेंट नं.	गली/मोहल्ला
शहर/गाँव	पोस्ट ऑफिस
पुलिस स्टेशन/तहसील/तालुका/मौजा	
जिला	राज्य

आयु

वर्ष

महीना

जन्म की तारीख

अक्षमता (यदि कोई हो):- (उचित बाक्स में टिक करें) (वैकल्पिक)

☐

दृष्टि क्षीणता

☐

वाणी और श्रवण अक्षमता

☐

चलन अक्षमता

☐

अन्य

क्या किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं

यदि हां तो निम्नलिखित विवरण दें---

(a) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम

(b) भाग/मतदान केन्द्र सं. (यदि जात है)

(c) जन्म की तारीख

(d) ईपीआसी संख्या (यदि कोई है)

आधार विवरण:- (कृपया उचित बाक्स में टिक करें)

(क)

☐

आधार संख्या

या

(ख)

☐

मैं आधार संख्या देने में अक्षम हूँ क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है

संपर्क संख्या:

मोबाइल नं. (वैकल्पिक)

लैंडलाइन

ई-मेल आईडी (यदि कोई हो)

2 *मैं.....विश्वविद्यालय का स्नातक हूँ और सनमें डिग्री / डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की है।
या
*मैं..... डिप्लोमा/प्रमाणपत्र रखता हूँ जिसकी अहंता स्नातक के समकक्ष है और वर्ष.....में डिप्लोमा / प्रमाणपत्र के लिए भारत में विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण की है।

3 स्नातक होने/उपरोक्त डिप्लोमा/प्रमाणपत्र धारण करने के समर्थन में, मैं इसके साथ.....प्रस्तुत करता/करती हूँ।

4 **इस या किसी अन्य स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है।
या
**नीचे दिए गए पते पर..... स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित किया गया है, और मैं निवेदन करता/करती हूँ कि वह उस नामावली से हटा दिया जाए

5. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं भारत का /की नागरिक हूँ और ऊपर दी गई सब विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के स्थान अनुसार सत्य हैं।
स्थान _____
तारीख _____

दावेदार के हस्ताक्षर _____

टिप्पण : जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दंडनीय है।
*जो पैरा लागू न हो उसे काट दीजिए
**जो शब्द समुचित न हों उन्हें काट दीजिए
.....(छिद्रण)
की गई कार्रवाई की सूचना

श्री/श्रीमती / कुमारी.....जो.....का/ की निवासी है, के प्ररूप 18 में आवेदन को,
(क) स्वीकार कर लिया गया है और श्री/श्रीमती कुमारी.....के नाम को भाग सं०.....में क्रम सं०.....पर रजिस्टर कर दिया गया है।
(ख) निम्नलिखित कारण से अस्वीकार कर दिया गया है.....
तारीख _____

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर
(पता) _____

.....(छिद्रण)
आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी*.....जो*.....का/की निवासी है, से प्ररूप 18 में आवेदन प्राप्त हुआ
तारीख _____

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर
(पता) _____

*आवेदक द्वारा भरा जाए